जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 284 प्रभात जालोर, शनिवार 18 जनवरी, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

कंगना रानौत ने दिल्ली के चुनाव से पूर्व भाजपा के लिये नई मुश्किल खड़ी की

कंगना की फिल्म ''इमरजैंसी'' में दर्शाया गया है कि भिंडरवाला ने इंदिरा गांधी से सांठ-गांठ की थी कि अगर वे एक अलग सिख राज्य का गठन कर देती हैं तो वे सिख वोट कांग्रेस की झोली में डलवा देंगे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। भाजपा सांसद कँगना रानौत ने अपनी पार्टी को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी (एसजीपीसी) तथा अन्य सिक्ख संगठनों ने आज अमृतसर तथा अन्य जिलों के उन सिनेमा हॉलों के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया, जहाँ अभिनेत्री से राजनेता बनी कँगना रानौत की फिल्म ''इमर्जेंसी'' दिखाई जाने वाली थी।

इसके बाद, सिनेमा प्रबन्धन ने किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचने के लिये फिल्म-प्रदर्शन की अपनी योजनाएं टाल दीं। इस बीच, सम्बंधित मल्टीप्लेक्सों, मॉलों तथा थिएटरों के बाहर, निरोधक उपायों के रुप में, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई।

एसजीपीसी ने आरोप लगाया कि फिल्म का कथानक गलत है तथा इसमें सिक्खों की बुरी छवि प्रस्तुत की गई है और उन्हें उग्रवादी एवं राष्ट्र-विरोधी चित्रित किया गया है। एसजीपीसी ने आरोप लगाया कि इस फिल्म में जरनैल सिंह भिन्डरवाले के माध्यम से प्रस्तुत की गई सिक्खों की भूमिका तथ्यात्मक

- **शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का इस बारे में कहना है कि यह कथानक सिख समुदाय को आतंकवादी व देशद्रोही के रूप में बदनाम करने व छवि बिगाड़ने का प्रयास है। क्योंकि, तब तक तो उस समय भिंडरवाला के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी।**
- **बल्कि, पंजाब के नेतागण, विशेषकर वो, जो शिरोमणि अकाली दल के सदस्य थे, उदाहरण के लिये प्रकाश सिंह बादल व गुरुचरण सिंह टोहरा, ने कई शांतिपूर्ण प्रदर्शन किये थे, जब इंदिरा गांधी ने इमरजैंसी लागू करने का निर्णय लिया था।**
- **पंजाब में कंगना रानौत की फिल्म का प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है, सिख समुदाय के विरोध के कारण।**
- **सिख, दिल्ली में भारी संख्या में हैं। अतः इस फिल्म के कारण वहाँ के सिख वोटर का विरोध भाजपा को भारी पड़ सकता है।**

रुप गलत है।

रानोत, जिन्हें ''विवादों की रानी'' कहा जाता है, इससे पहले भी अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों और कार्यों से भाजपा के लिये बड़ी उलझन भरी स्थिति पैदा कर चुकी हैं, लेकिन इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि सिक्ख ऐसे समय पर नाराज हो गये हैं, जब दिल्ली विधानसभा के चुनावों का प्रचार चल रहा है। दिल्ली में सिक्ख अच्छी- खासी संख्या में हैं।

फिल्म के रिलीज की पूर्व संध्या पर, एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह धामी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन्त सिंह मान तथा सभी जिलों के जिला कलैक्टरों से माँग की थी कि वे राज्य में फिल्म पर रोक लगा दें, अन्यथा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे।

एसजीपीसी की धर्म प्रचार कमेटी के सदस्य अजायब सिंह अभ्यासी, जिन्होंने पीवीआर सूरज चन्दा तारा सिनेमा पर फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया, ने कहा कि एसजीपीसी के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया है तथा फिल्म शो निरस्त कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ''हमने विरोध - प्रदर्शन तभी निरस्त किया, जब सिनेमा कॉम्प्लेक्सों के प्रबन्धन ने हमें फिल्म न चलाने का आश्वासन दे दिया। अमृतसर के एक मल्टीप्लैक्स में कुछ एडवांस बुकिंग हो गई थीं, जिनका पैसा टिकट खरीदने वालों को वापस कर दिया जायेगा।''

इस फिल्म में भारत में आपातकाल, जिसकी घोषणा 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, की उत्तेजनापूर्ण अवधि के खोजपूर्ण हालात प्रस्तुत किये गये हैं।

14 अगस्त, 2024 को रिलीज किये गये टीज़र में, भिन्डरवाले इंदिरा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ठेकेदार पदमचंद को जेजेएम मिशन के ईडी प्रकरण में जमानत मिली

जयपुर, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचईडी के ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी प्रकरण में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस विनोद चन्द्रन की पीठ ने यह आदेश पदम चंद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत घोटाले के मूल केस में पहले की पदम चंद को जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस मंत्री को फायदा देने के लिए कथित लेनदेन हुआ है, उस मंत्री को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा

- **सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को आरोपी नहीं बनाने के आधार पर ठेकेदार को जमानत दी।**

कि मामले के मुख्य साक्ष्य दस्तावेज के रूप में हैं और ईडी उन्हें पहले ही जब्त कर चुकी है। इसलिए उनसे छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। वहीं, प्रकरण में हजारों दस्तावेजों के साथ ही करीब 50 गवाहों का परीक्षण भी होना है, जिसमें समय लगने की संभावना है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है।

एसएलपी में पदमचंद जैन की ओर से कहा गया कि प्रकरण में समान भूमिका वाले अन्य आरोपियों को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है। इसके अलावा, वह लंबे समय से जेल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिद्धारमैया व शिवकुमार के बीच कर्नाटक के मु.मंत्री पद का झगड़ा चरम पर पहुँचा

यह समझौता हुआ था कि ढाई-ढाई साल तक दोनों मु.मंत्री रहेंगे?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। मुद्दा गर्माया वर्ष 2025 शुरु होने पर, जिस वर्ष में कर्नाटक राज्य की सत्ता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के हाथ से उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के हाथों में जानी थी।

हाईकमान के हस्तक्षेप के बावजूद, कर्नाटक कांग्रेस में नए सिरे से शुरु हुआ घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। निजी डिनर मीटिंग हुई हैं और नए पी.सी.सी. प्रमुख की नियुक्ति के लिए खुले तौर पर आह्वान किया गया है, जिससे 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी फिर से नज़र आने लगी है।

घटनाक्रमों का सिलसिला नए साल की शुरुआत से शुरु हुआ। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया का यह अंतिम वर्ष होगा, जिसके बारे में उनके और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच ''पावर शेयरिंग'' फार्मूला तय हुआ था और जिसके तहत दोनों को ढाई-ढाई साल के लिए राज्य की सत्ता संभालनी थी।

तथापि, इस बात की कभी भी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि,

- **अब सिद्धारमैया शासन का ढाई साल पूरा होने का समय आ रहा है, पर, सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं नज़र आते।**
- **बल्कि, सिद्धारमैया के खेमे ने अभियान शुरु किया है कि शिवकुमार को प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिये, क्योंकि वे प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ-साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं तथा महत्वपूर्ण पद संभाले हुए हैं।**
- **शिवकुमार की पोज़ीशन कुछ कमज़ोर हुई है, क्योंकि गत लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन ज्यादा ठीक नहीं रहा, कांग्रेस 28 सीटों में से केवल नौ सीटें ही जीत पाई थी।**

शिवकुमार खेमे की तरफ से इस बारे में दावे सामने आते रहे हैं।

अब, जहाँ सिद्धारमैया के समर्थक यह सुनिश्चित करने के लिए उनके खेमे को लामबंद कर रहे हैं कि वे अपना कार्यकाल पूरा करें, वहीं, शिवकुमार के समर्थक माहौल को गर्म रख रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि हाल ही में सिद्धारमैया ने नेतृत्व में बदलाव से इन्कार करते हुए, शिवकुमार पर सीधा हमला किया। सिद्धारमैया खेमे ने भी यह मांग करते हुए दबाव बनाया है कि शिवकुमार पी.सी.सी. अध्यक्ष का पद छोड़ें, क्योंकि वे मंत्री भी हैं।

इस सप्ताह के प्रारंभ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह विवाद सामने आया, जहाँ, शिवकुमार तथा सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी, लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जरकीहोली जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के निर्माण को लेकर भिड़ गए।

सिद्धारमैया के एक वरिष्ठ मंत्री, जो मुख्यमंत्री के समर्थक भी हैं, ने हाल ही में कहा, ''यदि पावर शेयरिंग फार्मूला है भी, तो वो सिद्धारमैया के ढाई साल सत्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर ''स्टे'' लगाया

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली सरकार, केन्द्रीय सरकार से अनुबंध (एमओयू) करे, प्र.मंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के दिसम्बर, 2024 के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना की आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश दिये गये थे कि वह राष्ट्रीय राजधानी में ''प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मैमोरैन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दे।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई तथा ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बैंच ने नोटिस जारी करके, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर, केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है।

- **दिल्ली हाई कोर्ट का मानना था कि जब देश के 33 राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्र इस एमओयू पर हस्ताक्षर करके, जनता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं तो दिल्ली सरकार का ऐसा न करना गैर वाजिब है।**
- **दिल्ली सरकार के अधिवक्ता का तर्क था कि यह सच है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का 60 प्रतिशत खर्चा केन्द्रीय सरकार देगी, पर, सेवा चलाने का खर्चा केन्द्रीय सरकार नहीं देगी।**

दिल्ली सरकार की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रश्न किया कि उच्च न्यायालय, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य कैसे कर सकता है।

सिंघवी ने बैंच को बताया कि अगर एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो केन्द्र सरकार पूँजीगत व्यय का 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी तथा दिल्ली सरकार को 40 प्रतिशत व्यय वहन करना होगा, लेकिन केन्द्र इस स्कीम के संचालन पर होने वाले खर्च का कोई भाग साझा नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम के संचालन के वित्तीय घटक के मुद्दे का संकेत देने के बाद, सिंघवी ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार की अपनी स्वयं की स्कीम की पहुँच एवं विस्तार (रीच एंड कवरेज) केन्द्र की योजना से काफी बड़ा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सूचना सहायक भर्ती में नियुक्ति पत्र देने पर रोक जारी

जयपुर, 17 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 के विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक को जारी रखा है। इसके साथ ही, अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा है कि वह विवादित एवं तकनीकी सवाल के लिए संबंधित विषय के

- **हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के विवादित सवाल के विषय विशेषज्ञ को सहयोग करने के लिये बुलाने के आदेश दिये हैं।**

विशेषज्ञ को सहयोग करने के लिए अदालत में पेश करे। इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह अपने संभावित अंक बताए और उसका एक सवाल सही माना जाए तो क्या वह मैरिट में जा सकता हैं। जस्टिस समीर जैन ने ये आदेश बबीता बाई बैरवा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विवादित प्रश्नों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुम्बई-अहमदाबाद ''बुलेट ट्रेन'' प्रोजैक्ट में अब और देरी होगी!

देरी का कारण इस बार प्रोजैक्ट के लिये भूमि अवाप्ति नहीं, बल्कि ट्रेन के आधुनिक जापानी डिब्बों की कीमत है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। शिंकान्सेन रैक्स के लिए रोलिंग स्टॉक अनुबंध को अंतिम रुप देने में हो रही देरी के कारण, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एम.ए.एच.एस.आर.) कॉरीडोर पर अगले साल परीक्षण आयोजित करने का भारत का लक्ष्य और अधिक आगे बढ़ सकता है।

रेल मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले घोषणा की थी कि सूरत से बिलीमोरा के बीच 56 किमी के खंड पर 2026 में परीक्षण शुरु किए जाएंगे।

परियोजना का निर्माण कार्य 2017 में शुरु हुआ था, जिसका 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य था। लाइन पहले ही लगभग पांच साल की देरी से चल रही है। जबकि, भूमि पूरी तरह से अधिग्रहीत की जा चुकी है और सिविल कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जापान और भारत के बीच शिंकान्सेन कोचों की खरीद के बारे में असहमति एक

- **जापानी डिब्बे (कम्पार्टमैंट) की कीमत 50 करोड़ रूपए प्रति डिब्बा है, पर, यूरोपियन निर्माता इससे आधी कीमत पर ये डिब्बे देने को तैयार हैं।**
- **जापान का जवाबी तर्क है, प्रोजैक्ट के लिए अधिकांश पैसा जापान दे रहा है, बहुत ही आसान शर्तों पर, जैसे- बीस साल तक पैसे की अदायगी पर ''मोरिटोरियम'' (धन अदायगी अवधि) बीस साल है तथा ऋण इसके बाद, 50 साल में लौटाया जायेगा तथा ब्याज दर केवल 0.1 प्रतिशत होगी। अतः डिब्बों की कीमत को अलग से आंकना जायज नहीं है।**
- **रेल मंत्रालय इस दुविधा को सुलझाने के लिये कोई निर्णय नहीं ले पाया है, अतः प्रोजैक्ट में देरी होती जा रही है।**

रोडब्लॉक बन गई है। जापान प्रति कोच 50 करोड़ रुपये की कीमत पर पुनः बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं, यूरोपीय निर्माताओं का कहना है कि वे हाई स्पीड कोच आधी दर पर प्रदान कर सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के, जापान को रोलिंग स्टॉक की लागत को कम करने के लिए मनाने के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला है।

भारत को 400 हाई स्पीड कोचों की आवश्यकता है, जो जापानी शिंकान्सेन से 20,000 करोड़ रुपये में आएंगे, जबकि यूरोपीय कंपनियां, जैसे एल्स्टॉम और सीमन्स इन्हें 10,000 करोड़ रुपये में देंगी। जापान का कहना है कि चूंकि इस परियोजना को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा फण्ड किया जा रहा है, इसलिए रोलिंग स्टॉक पर मूल्य निर्धारण को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है कि भारत को शिंकान्सेन रैक्स की खरीद पर अतिरिक्त धन नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुल परियोजना फण्डिंग के माध्यम से आएंगे। इसके अतिरिक्त, भारत शिंकान्सेन रैक्स की खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के रुप में राजस्व भी प्राप्त करेगा। दूसरी ओर, भारत को यूरोपीय निर्माताओं से हाई स्पीड कोच खरीदने के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा।

एम.ए.एच.एस.आर. के लिए आवश्यक 80 प्रतिशत धन जीका द्वारा 50 साल की लोन अवधि पर, 0.1

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

31जनवरी से संसद सत्र, 1 फरवरी को बजट

नई दिल्ली, 17 जनवरी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इस सत्र में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। बजट सत्र के दौरान, दिल्ली

- **बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक तथा दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रेल तक चलेगा।**

चुनाव के दिन संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। वहीं, 3 फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू होगी।

परंपरा के अनुरूप, सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पिछली सरकार में फर्जी डिग्रियों से मिली थी, कई लोगों को शारीरिक शिक्षक की नौकरी!

अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियां, गलत रोल नंबर और दस्तावेज पेश किये, परंतु तत्कालीन अफसरों ने बिना जांचे इन लोगों को नौकरियां दे डाली थीं

जयपुर, 17 जनवरी (कासं)। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपरलीक का मामला सुर्खियों में रहा और अब फर्जीवाडे व चीटिंग के नये-नये खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही दूसरा मामला शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती-2022 में भी सामने आया है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियां और दस्तावेजों के दम पर नौकरियां तक हासिल कर ली। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की शर्तों में साफ उल्लेख था कि अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय गलत जानकारी देगा तो उसका आवेदन पत्र संशोधन की तिथि के बाद मंजूर नहीं किया जायेगा।

ज्ञात रहे कि इस भर्ती में बी.पी.एड. (बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन) की डिग्री प्राप्त होना आवश्यक था, इसलिए कई अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय खुद का रिजल्ट और डिग्रियां लंबित अथवा दूसरे विश्वविद्यालयों का नाम और रोल नंबर बता दिए। हैरानी की बात यह है कि इन अभ्यर्थियों की कारगुजारी को दस्तावेज सत्यापन के समय तत्कालीन गहलोत सरकार के सरकारी महकमों ने भी नजर अंदाज कर दिया था और उन्हें

- **अब सरकार ने पेपरलीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों की जांच शुरू की तो गहलोत सरकार के नये-नये काले कारनामे उजागर हो रहे हैं।**
- **जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाई, उन्होंने ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश की श्री सत्य सांई यूनिवर्सिटी, जे.एस. यूनिवर्सिटी और कलिंगा विश्वविद्यालय की ''डिग्रियां'' दस्तावेज सत्यापन के समय पेश की थीं।**

नौकरी तक दे डाली।

अब सरकार ने पिछली सरकार के समय भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक और फर्जीवाडे से नौकरी पाने वालों की जांच शुरू करवाई तो गहलोत सरकार के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग और शिक्षा विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शुरू की तब इनमें भारी गफलत मिली है। इनमें सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया गया, जिनके आवेदन फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन में ''मिसमैच'' था।

जालौर जिले से सामने आये कुछ प्रकरणों के अनुसार, अभ्यर्थी गणपत लाल ने फर्जी दस्तावेजों ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक की नौकरी हासिल की और 11 सितंबर 2023 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिलोसन में कार्यभार भी संभाल लिया था। जब गणपतलाल के कागजातों की जांच की तो सामने आया कि 22 जुलाई 2022 को आवेदन के समय गणपतलाल ने बी.पी.एड. मध्यप्रदेश की स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर से करना बताया था। उसने अपना परिणाम लंबित (अवेटेड) बताते हुए रोल नंबर अंकित नहीं किया था। बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय चूरू की ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय की चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन अंकतालिका पेश की, जिसका रोल नंबर ''22बीपीईडी2534'' अंकित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंडीकेट बैंक घोटाले के मास्टर माइन्ड की प्रॉपर्टी पर यथास्थिति के आदेश

जयपुर, 17 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 1300 करोड़ रुपए से जुड़े सिंडीकेट बैंक घोटाले के ईडी मामले में मास्टर माइंड सीए भरत बंब की प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। वहीं, मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए बाद में देना

- **हाई कोर्ट की डबल बैंच ने यह आदेश केन्द्र सरकार की विशेष अपील याचिका पर दिये।**

तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह निर्देश केन्द्र सरकार की विशेष अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अपील में हाईकोर्ट की एकलपीठ के 18 सितंबर 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)